न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :–57/14 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– 1.सध्दू पुत्र धूमी जाति गूर्जर निवासी ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

––– अपीलांट वादी

बनाम्

1. मु0 बोदी पुत्री हरफूल जाति गूर्जर निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

–––रेस्पो0 प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड़ अधिकारी तिजारा दिनांक 02.01.2014

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री मोहित कौशिक

2. वकील रेस्पो0 :– बावजूद सूचना उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक– 25.06.2021

1. प्रस्तुत अपील उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 729/2002 में पारित निर्णय दिनांक 02.01.2014 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद खारिज किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1797/1–1 बीघा, 1973/1–14 बीघा, 2000/4–11 बीघा, 2006 मिन 17–13 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जिला विवादित है। खसरा नम्बर 1797 में वादी का 1/4 भाग दर्ज है एवं 1/4 भाग प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ख0 नं0 2000 में 1/4, 1/4 भाग का अमल हुआ है व इसी कदर खसरा नम्बर 1973, 2006 मिन में 1/4, 1/4 भाग का अमल हो रहा है। उपरोक्त आराजी का 1/2 भाग कुल तन्हा मिन वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी है। सुस्सी के मरने के बाद विवादित आराजी उसके 3 लड़को खुमारा, धूमी, हरफूल को मिली। खुमरा लावल्द बिला औरत फौत हो गया एवं हरफूल का भी देहान्त हो गया। कुल आराजी धूमी को मिली, जिसका वारिस काबिज जादाद वादी है। प्रतिवादी नम्बर 01 का इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है। परन्तु राजस्व रेकार्ड में उसके नाम का अंकन गलत तौर पर कर दिया गया। वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी हासिल हो चुकी है। अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे। दौराने विचारण वाद पत्र पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किया गया, जो निर्णय दिनांक 18.12.12 द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर वाद पत्र खारिज किया गया। इससे व्यथित होकर वादी ने यह अपील पेश की है।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि दौराने विचारण वाद मिन वादी एवं प्रतिवादी नं0 01 ने लिखित में राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने की प्रार्थना की थी, परन्तु तहत अदालत ने यह कहते हुए राजीनामा खारिज कर दिया कि किसी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि हमने राजीनामा लिखित में तहत अदालत में पेश कर दिया था। उस पर हम दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है। यह राजीनामा हमने तहत अदालत में पेश कर दिया था। अतः तहत अदालत का यह निस्कर्ष कि पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर राजीनामा पर नहीं है, कतई विधिसम्मत नहीं है। यह पीठासीन अधिकारी का कर्त्तव्य था कि राजीनामा पेश होने के बाद उस पद अपने हस्ताक्षर करते। राजीनामा गलत तौर पर खारिज करने के बाद दिनांक 02.01.2014 को वाद पत्र भी गलत तौर पर खारिज कर दिया। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जब दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करके लिखित में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया था तो फिर आदेश 23 नियम 3 सी0पी0सी0 में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में राजीनामा के अनुसार वाद पत्र डिक्री करना चाहिये था। आदेश 12 नियम 6 सी0पी0सी0 में प्रावधान दिया गया है कि स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिये। प्रतिवादी रेस्पो0 ने जरिये राजीनामा मेरे वाद पत्र को स्वीकार कर लिया है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री किया जावे।

4. रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलांट की लिखित बहस तर्कों पर गौर किया। तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 17.08.2009 में राजीनामा पेश करना अंकित है। इस आदेशिका पर स्वयं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 के अंगूठा निशानी है। अतः तहत अदालत का यह निष्कर्ष कतई विधिसम्मत नहीं है कि राजीनामा पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ, ना मु0 बोदी ने रजामंदी के हस्ताक्षर किये।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

राजीनामा दिनांक 17.08.2009 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो चुका था और उस पर मु0 वोदी प्रतिवादी ने अपनी रजामंदीस्वरूप अंगूठा निशानी अंकित कर रखी है।

6. इसके पश्चात आदेश 23 नियम 03 तथा आदेश 12 नियम 06 सी0पी0सी0 में प्रतिपादित प्रावधानों का अध्ययन किया। आदेश 23 नियम 03 सी0पी0सी0 में प्रावधान किया गया है कि अगर पक्षकारों ने आपसी सहमति से अपने हस्ताक्षरयुक्त लिखित में राजीनामा पेश कर दिया है तो राजीनामा के अनुसार वाद पत्र का निस्तारण कर दिया जावे। आदेश 12 नियम 06 सी0पी0सी0 में प्रावधान किया गया है कि स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय पारित कर देना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 01 ने आपसी सहमति से अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करके लिखित में राजीनामा पेश कर दिया है। मु0 वोदी ने जरिये राजीनामा वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है। इन परिस्थितियों में आदेश 23 नियम 03 (राजीनामा के आधार पर) तथा आदेश 12 नियम 6 (स्वीकारोक्ति के आधार पर) दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त 1993 आर0आर0डी0 पेज 821 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अगर राजीनामा लिखित में है और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित है तो राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री कर देना चाहिये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी मौजूदा प्रकरण से संबंधित वाद पत्र राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने योग्य है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 02.01.2014 तथा 18.12.2012 (जिसके द्वारा राजीनामा खारिज किया गया है) निरस्त किये जाते है तथा वादी अपीलांट का वाद मुताबिक राजीनामा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1797 रकबा 1–1 1973 रकबा 1–14, 2000 रकबा 4–11, 2006 मिन रकबा 17–13 वाके ग्राम तिजारा तह0 तिजारा जिला अलवर के 1/4 भाग का वादी अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस 1/4 भाग पर से प्रतिवादी नं0 01 मु0 बोदी का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किया जावे।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

25/6/2021

(अशोक कुमार सांखला)

भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर

न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 57/14 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– 1. सध्दू पुत्र धूमी जाति गूर्जर निवासी ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

--- अपीलांट वादी

बनाम्

1. मु0 बोदी पुत्री हरफूल जाति गूर्जर निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

---रेस्पो0 प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड़ अधिकारी तिजारा दिनांक 02.01.2014

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री मोहित कौशिक

2. वकील रेस्पो0 :– बावजूद सूचना उपस्थित नही।

पर्चा डिक्री दिनांक– 25.06.2021

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 02.01.2014 तथा 18.12.2012 (जिसके द्वारा राजीनामा खारिज किया गया है) निरस्त किये जाते है तथा वादी अपीलांट का वाद मुताबिक राजीनामा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1797 रकबा 1–1 1973 रकबा 1–14, 2000 रकबा 4–11, 2006 मिन रकबा 17–13 वाके ग्राम तिजारा तह0 तिजारा जिला अलवर के 1/4 भाग का वादी अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस 1/4 भाग पर से प्रतिवादी नं0 01 मु0 बोदी का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किया जावे।

25/6/2021

(अशोक कुमार सांखला)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर